रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 1972/आश्विन 3, 1894

No. 217] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1972/ASVINA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
23 NOV 1972
GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th September 1972

SUBJECT.—*Import of Tractors by agriculturists as gift.*

No. 139-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 86-ITC(PN)/71, dated 22nd July, 1971 issued on the above subject.

2. The under-mentioned make and specification of tractor may be deemed to have been added after S. No. (9) in para 2 of the aforesaid Public Notice:—

(10) David Brown (Model 990 of 50 h.p.)

3. Arrangements have also been made for bulking the import of tractors under the 'Gift Scheme' through the Projects and Equipment Corporation of India Ltd., Chandralok Building, Janpath, New Delhi for the benefit of the agriculturists in the country. Eligible donors and donees who wish to avail themselves of the services

of Projects and Equipment Corporation of India Ltd., may approach them for importation of tractors under the gift scheme. The following procedure will be followed for importing tractors under the 'Gift Scheme' through the Projects and Equipment Corporation of India Ltd., New Delhi:—

(a) The application duly certified by Tehsildar/Revenue Officer concerned, should be sent by the donee to the Projects and Equipment Corporation of India Ltd., Chandralok Building, Janpath, New Delhi.

(b) The donor's application duly attested by the Indian Mission concerned abroad should be forwarded to the Projects and Equipment Corporation of India Ltd.

(c) On receipt of applications both from the donee and the donor, the Projects and Equipment Corporation of India Ltd., will scrutinise the same and approach the CCI&E, New Delhi through the Ministry of Agriculture for issue of authorisation if all the other conditions have been complied with.

(All other terms and conditions for import of tractors under the gift scheme will remain unchanged).

4. The Scheme of imports through Projects and Equipment Corporation of India Ltd, is voluntary and those who do not wish to avail of this facility may apply in the usual manner as already laid down in the erstwhile Ministry of Commerce Publice Notice No. 234-ITC(PN)/68, dated 24th October, 1968, as amended.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1972

विषय :—कृषकों द्वारा ट्रैक्टरों का उपहार के रूप में आयात ।

सख्या 139–आई० टी० सी० (पी एन)/72.—उपर्युक्त विषय पर जारी की गई विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 86–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 22–7–1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. नीचे उल्लिखित, ट्रैक्टर के मेक और विशिष्टिकरण को उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2 में क्रम संख्या (9) के बाद जोड़ा गया समझा जाए :—

(10) डोविड ब्राउन (50 अश्व-शक्ति का माडल 990)

3. देश के किसानों के फायदे के लिए परियोजना तथा उपस्कर निगम भारत लि०, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली के माध्यम से 'उपहार योजना' के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के आयात का स्थूलीकरण करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। वे उपहार देने वाले और उपहार ग्रहण करने वाले जो खुद परियोजना, तथा उपस्कर निगम भारत लि०, की सेवाएं उपलब्ध करना चाहते हों, तो वे उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए उन से सम्पर्क कर सकते हैं। परियोजना तथा उपस्कर निगम भारत लि०, नई दिल्ली के माध्यम से 'उपहार योजना' के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा :—

(ए) आवेदनपत्र को सम्बद्ध तहसीलदार/राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित कराकर परियोजना तथा उपस्कर निगम भारत लि० चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली को उपहार ग्रहण करने वाले द्वारा भेजा जाना चाहिए।

(बी) उपहार देने वाले का आवेदन-पत्र विदेश स्थित भारतीय सम्बद्ध मिशन द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित कराकर परियोजना तथा उपस्कर निगम भारत लि० को अग्रसारित किया जाना चाहिए।

(सी) उपहार ग्रहण करने वाले और उपहार देने वाले दोनों से आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर परियोजना तथा उपस्कर निगम भारत लि० उसकी संवीक्षा करेगा और यदि सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है तो प्राधिकरण-पत्र जारी करने के लिए कृषि मंत्रालय के माध्यम से मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा।

(उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात करने से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तनीय होंगी।)

4. परियोजना तथा उपस्कर निगम भारत लि० के माध्यम से आयात करने की योजना स्वेच्छा से प्रेरित है और वे जो इस सुविधा को उपलब्ध करने के इच्छुक नहीं हैं, तो वे पूर्वगामी वाणिज्य मंत्रालय की यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 234–आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68 में पहले से ही यथा निर्धारित सामान्य विधि के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

SUBJECT.—*Import of Cynopyridine.*

No. 140-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 137-ITC(PN)/72, dated the 21st September, 1972 issued on the above subject.

2. The words "except without the specific approval of CCI&E" appearing in the last line of para 3 of the said Public Notice may be deemed to have been amended to read as "except with the specific approval of the CCI&E".

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : साइनोपाइरिडिन का आयात ।

संख्या 140–आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—उपर्युक्त विषय पर जारी की गई विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 137–आई० टी० सी० (पी एन/72, दिनांक 21 सितम्बर, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 3 की अन्तिम पंक्ति में आए हुए शब्द "मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के बिना विशेष अनुमोदन के अतिरिक्त" को "मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के विशेष अनुमोदन के अतिरिक्त" के रूप में संशोधित किया गया पढ़ा जाए ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972